नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
21/2015	26.2.2015	18.1.2019

श्रवणलाल दत्तक पुत्र रामजीलाल, महाजन निवासी गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. मधू पत्नि गौरीशंकर, ब्राह्मण निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी
2. शीलादेवी पत्नि गिरधारीलाल, ब्राह्मण, अमित कोलोनी, महूकलां
3. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गंगापुर सिटी जरिए मैनेजर
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. सुरेन्द्र पुत्र रामसहाय, ब्राह्मण निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम,एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री दिनेश डांस, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1, 2 की ओर से
श्री आर0के0 मिश्रा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 3 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी के पिता रामजीलाल पुत्र कल्याण, महाजन निवासी छावा ने कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल ब्राह्मण निवासी छावा से उसकी खातेदारी भूमि साबिक ख0नं0 290 रकबा 17 बीघा 3 विस्वा में से 3 बीघा 10 विस्वा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.3.68 को खरीदी थी तभी से इस भूमि पर वादी के पिता का एवं उनके बाद वादी का कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान भू–प्रबन्ध में वादी की खातेदारी का नवीन नम्बर 514 रकबा 1.00 है0 कायम किया गया है जिसमें 0.87 है0 रकबा वादी का शामिल कर भूमि की खातेदारी कन्हैयालाल के वारिसान के नाम दर्ज कर दी है तथा कन्हैयालाल के वारिसान ने वादी की खातेदारी भूमि को प्रतिवादिया मधू को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दिया है। साथ ही भू–प्रबन्ध विभाग वालो ने गलत इन्द्राज करके हाल ख0नं0 511 रकबा 0.65 है0 को वादी की मां चमेली देवी के नाम दर्ज कर दिया है जबकि ख0नं0 511 पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। इस नम्बर पर खरीद के दिनांक से ही शीला देवी का कब्जा है। हाल ख0नं0 512, 513 पर मधु देवी का कब्जा है लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग वालों ने ख0नं0 512 को शीला देवी के नाम दर्ज कर दिया है। भू–प्रबन्ध विभाग वालों को इस तरह गलत इन्द्राज करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी को इस गलत इन्द्राज की

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर

जानकारी दिनांक 11.12.2014 को हुई है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषित फरमाया जावे कि ग्राम छावा में स्थित भूमि साबिक ख0नं0 290 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा जिसके नवीन नम्बर ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 कायम किए हैं में से ख0नं0 512 के लगवां उत्तर से दक्षिण 0.13 है0 भूमि मधू के नाम छोडते हुए 0.87 है0 भूमि मधू के नाम से हजफ की जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे। हाल ख0नं0 511 रकबा 0.65 है0 वादी के नाम से हजफ कर सिवायचक दर्ज की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि साबिक ख0नं0 290 में से रकबा 3 बीघा 10 विस्वा विक्रय की गई भूमि की सीमा में पूर्व में जमीन विक्रेता कन्हैयालाल की भूमि, पश्चिम में खेत सुमेरसिंह जागा, उत्तर में खेत बाबूलाल व दक्षिण में जमीन सिवायचक दर्ज की गई है। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 290 मिन रकबा 3 बीघा 10 विस्वा के नये नम्बर ख0नं0 511 रकबा 0.65 है0, ख0नं0 512 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 513 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 18.5.07 व दिनांक 4.7.2000 विधा पत्नि द्वारिकाप्रसाद व सत्य नारायण पुत्र द्वारिका प्रसाद ब्राह्मण द्वारा कुल 1.77 है0 प्रतिवादी सं0 मधू को विक्रय किए गए एवं ख0नं0 512 रकबा 0.49 है0 का शीला पत्नि गिरधारी के हक में बयनामा पंजीबद्ध हुआ है। ख0नं0 513 के दक्षिण में लगवां ख0नं0 486 रकबा 0.90 है0 भूमि शीला पत्नि गिरधारी, सुरेन्द्र पुत्र रामसहाय हिस्सा 5/6 एवं शीला पत्नि गिरधारी हिस्सा 1/6 अंकित है किन्तु मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार राजस्व रिकार्ड पूर्णतः सही नहीं है। वास्तविक रूप से मौके पर ख0नं0 486 रकबा 0.90 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 मधू का कब्जा है, ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 पर श्रवणलाल वादी का कब्जा है, ख0नं0 511 रकबा 0.65 है0 पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के भाई सुरेन्द्र पुत्र रामसहाय का कब्जा है। ख0नं0 512 व 513 पर जमाबंदी अनुसार शीला व मधुदेवी का कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादी ने ख0नं0 514 में 0.13 है0 भूमि पर गलत रूप से कब्जा कर रखा है। ख0नं0 511 पर शीला देवी का एवं उसके देवर सुरेन्द्र पुत्र रामसहाय ब्राह्मण निवासी छावा का कब्जा है। जबाब के विशेष विवरण में प्रतिवादी ने अंकित

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
(स0मा0)

किया है कि ख0नं0 511, ख0नं0 514 एवं ख0नं0 486 की मौके एवं रिकार्ड की स्थिति में उपरोक्त जबाबानुसार भिन्नता है अर्थात एक खातेदार का दूसरे खातेदार की भूमि पर कब्जे की स्थित है। वादी ने ख0नं0 511 बाबत तथाकथित अनुतोष की अभियाचना की है वह सुरेन्द्र के कब्जे काश्त में है। इसलिए उक्त समस्त पक्षकारों को सुनकर ही उनके कब्जे अनुसार रिकार्ड अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गईः–

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 290 रकबा 17 बीघा 3 विस्वा ग्राम छावा में से 3 बीघा 10 विस्वा भूमि वादी के पिता रामजीलाल पुत्र कल्याण महाजन ने कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल, ब्राह्मण से 13.3.1968 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी जिसका भू–प्रबन्ध में नवीन ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 कायम किया गया । ––वादी

2. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ख0नं0 514 में वादी का 87 एयर रकबा शामिल कर ख0नं0 514 को खातेदार कन्हैयालाल के वारिसों के नाम दर्ज कर दिया एवं इस गलत इन्द्राज के आधार पर कन्हैयालाल के वारिसों द्वारा वादी की भूमि प्रतिवादिया मधू को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दी गई। ––वादी

3. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से ख0नं0. 511 रकबा 65 एयर वादी की मा के नाम अंकित कर दिया गया है जबकि इस पर शीला देवी का कब्जा है तथा मधू देवी का ख0नं0 512, 513 पर कब्जा है, वादी का ख0नं0 514 में 87 एयर पर कब्जा है। ––वादी

4. आया वादी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करवा कर ख0नं0 514 में 87 एयर भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने, ख0नं0 511 को वादी के नाम से हजफ करवा कर सिवायचक दर्ज करवाने व इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। ––वादी

5. आया प्रतिवादिया की ख0नं0 514 में 13 एयर भूमि है जिसे प्रतिवादिया के कब्जे काश्त व खातेदारी में रखी जावे।

6. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2025 से 2028, नकल नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 17.1.65, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 प्रस्तुत की है।

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रस्तुत मामले में उभयपक्षकारों की सहमति से नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से यह रिपोर्ट मंगवाई गई कि कौन खातेदार किस खसरा नम्बर में कितने रकबे पर काबिज है।

यह रिपोर्ट दिनांक 25.6.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 पर वादी श्रवणलाल काबिज हैं परन्तु इसकी खातेदारी प्रतिवादी मधू के नाम दर्ज है। ख0नं0 511 रकबा 0.65 है0 पर प्रतिवादी सुरेन्द्र काबिज है परन्तु खातेदारी वादी श्रवणलाल के नाम दर्ज है। ख0नं0 512 रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादी शीलादेवी काबिज है एवं खातेदारी भी शीलादेवी के नाम दर्ज है। ख0नं0 513 रकबा 0.77 है0 पर प्रतिवादी मधू काबिज है एवं खातेदारी भी प्रतिवादी मधू के नाम दर्ज है। ख0नं0 486 पर प्रतिवादी मधू काबिज है एवं खातेदारी शीलादेवी के नाम दर्ज है।

नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादी के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादी ने अपने वादपत्र में ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 में से 0.87 है0 भूमि की खातेदारी चाही है एवं नायब तहसीलदार गंगापुरसिटी से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार भी वादी का ख0नं0 514 पर ही कब्जा काश्त है। अतः वादी के वादपत्र की पुष्टि नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट से भी होती है। फलस्वरूप वादी का वादपत्र डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारों के नाम भूमि दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख, प्रतिवादी मधू की ओर से प्रस्तुत जबाब दावा के अनुसार एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी के वाद की पुष्टि होती है कि वादी का ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 भूमि पर कब्जा काश्त है परन्तु वादी इसमें से 0.87 है0 की खातेदारी ही प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी अनुसार वादी ने अपने वादपत्र में भूमि चाही है ।

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

जहां तक वादी के नाम दर्ज ख0नं0 511 को मौके पर कब्जे के अनुसार प्रतिवादी सुरेन्द्र के नाम दर्ज करने का प्रश्न है, प्रतिवादी सुरेन्द्र ने अपनी ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही ख0नं0 511 की भूमि उसके नाम खातेदारी में दर्ज करने का क्लेम प्रस्तुत किया है इसलिए यह भूमि वादी श्रवणलाल के नाम से हजफ की जाकर इसे राजकीय भूमि के रूप में दर्ज किया जाना हम उचित समझते हैं। इस भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी सुरेन्द्र नियमानुसार सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर भूमि प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 ग्राम छावा में से ख0नं0 512 के लगवां उत्तर से दक्षिण 0.13 है0 भूमि प्रतिवादी मधू के नाम यथावत रखते हुए शेष 0.87 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 ग्राम छावा में से 0.87 है0 की खातेदारी प्रतिवादी मधू पत्नि गौरीशंकर, ब्राह्मण के नाम से कम की जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं ख0नं0 511 रकबा 0.65 है0 ग्राम छावा की खातेदारी वादी के नाम से कम की जाकर इसे सिवायचक दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बाबूलाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

श्रवणलाल दत्तक पुत्र रामजीलाल, महाजन निवासी गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. मधू पत्नि गौरीशंकर, ब्राह्मण निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी
2. शीलादेवी पत्नि गिरधारीलाल, ब्राह्मण, अमित कोलोनी, महूकलां
3. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गंगापुर सिटी जरिए मैनेजर
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5. सुरेन्द्र पुत्र रामसहाय, ब्राह्मण निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –21/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री दिनेश डांस, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 ग्राम छावा में से ख0नं0 512 के लगवां उत्तर से दक्षिण 0.13 है0 भूमि प्रतिवादी मधू के नाम यथावत रखते हुए शेष 0.87 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार ख0नं0 514 रकबा 1.00 है0 ग्राम छावा में से 0.87 है0 की खातेदारी प्रतिवादी मधू पत्नि गौरीशंकर, ब्राह्मण के नाम से कम की जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं ख0नं0 511 रकबा 0.65 है0 ग्राम छावा की खातेदारी वादी के नाम से कम की जाकर इसे सिवायचक दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.1.2019 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

बाबू लाल जाट
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (अ०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		